रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276712
CG-DL-E-02102026-276712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

सेतु केस आईडी - AD/OI/046/2026

विषय: चीन जन. गण. से टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/43/2026-DGTR.–** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस

गाइड रेलों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि समान विचाराधीन उत्पाद और समान संबद्ध देश के संबंध में पाटनरोधी जांच अधिसूचना फा. सं. 6/14/2024-DGTR दिनांक 29 जून 2024 द्वारा शुरू की गई थी, प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 अगस्त 2025 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और उसके अनुसरण में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वर्तमान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच शुरू करने के लिए आवेदन है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पूर्व कार्यवाही में दर्ज निर्धारण अब प्रस्तावित जांच अवधि के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं और वर्तमान आवेदन की वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नए सिरे से जांच की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें" है, जिसे बाजार में ठोस लिफ्ट गाइड रेलें अथवा ठोस गाइड रेलें भी कहा जाता है।

5. पीयूसी वह पथ बनाता है जो एलिवेटर/लिफ्ट कार तथा, जहां लागू हो, प्रतितुल्य भार/संतुलन भार को होइस्टवे में ऊर्ध्वाधर आवागमन के दौरान मार्गदर्शन देता है। यह संरचनात्मक दृढ़ता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्षैतिज तल में कंपन को न्यूनतम करता है और अपनी ठोस संरचना के कारण सुरक्षा गियर को कार को रोकने और रोके रखने में सक्षम बनाता है। पीयूसी होइस्टवे की दीवार पर स्थापित किया जाता है और क्लिप्स एवं ब्रैकेट्स द्वारा उससे स्थिर किया जाता है। आवेदक ने टी-प्रकार की गाइड रेलों के संबंध में ISO 8100-33:2022 (पूर्व में ISO 7465:2007) और भारतीय मानक IS 17806:2022 का भी संदर्भ दिया है और कहा है कि उक्त मानक को भारत में अनिवार्य बनाने वाला कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।

6. पीयूसी के दायरे में सभी प्रकार और आयामों की टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें शामिल हैं, जिनकी अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई 127 मि.मी. तक और 127 मि.मी. सहित है, चाहे ग्राहक-विशिष्ट आयाम अथवा नामकरण कुछ भी हो। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है: (i) कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेलें, अर्थात कोल्ड-ड्रॉइंग प्रक्रिया से विनिर्मित ठोस गाइड रेलें, जिसमें अंतिम आयाम निर्धारित होते हैं और तैयार गाइड रेलों के यांत्रिक गुणों तथा सतही विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिन्हें सामान्यतः T65/A, T45/A और T50/A के रूप में नामित किया जाता है; और (ii) सभी खोखली गाइड रेलें, चाहे वे खुली-प्रोफाइल अथवा बंद-प्रोफाइल हों, वेल्डेड अथवा गैर-वेल्डेड हों, और आयाम, विनिर्देश अथवा ग्रेड कुछ भी हो, जिनमें आकारित शीट मेटल से विनिर्मित गाइड रेलें भी शामिल हैं।

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात फिशप्लेटों सहित अथवा बिना फिशप्लेटों के किया जा सकता है और फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कुछ आयात फिशप्लेटों सहित किए गए हैं। चूंकि फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं, इसलिए निष्पक्ष तुलना के लिए यह आवश्यक है कि फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और भार को विश्लेषण से बाहर रखा जाए। तदनुसार,

निर्यातकों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे फिशप्लेटों सहित आपूर्ति की गई गाइड रेलों के निर्यात का अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिसमें फिशप्लेटों से संबद्ध संगत मूल्य और भार की पहचान की गई हो।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा वर्तमान जांच के दायरे तथा कीमतों की निष्पक्ष तुलना, दोनों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आयातों का एक हिस्सा फिशप्लेटों के साथ भारत में आया है। वर्तमान जांच की शुरुआत में विचाराधीन उत्पाद में केवल ठोस गाइड रेल शामिल है, जबकि गाइड रेलों के साथ आयातित फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। तदनुसार, संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को अपने निर्यात का अलग ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गाइड रेलों और फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और मात्रा अलग-अलग दर्शाई गई हो। विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए फिशप्लेटों के उपयुक्त व्यवहार की जांच जांच के दौरान की जाएगी। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 8431 31 00, 8431 39 10 और 8431 39 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संबद्ध वस्तु के कुछ आयात टैरिफ मद 7308 90 90 के अंतर्गत भी रिपोर्ट किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने ठोस गाइड रेल के मॉडल/प्रकार पर आधारित उत्पाद नियंत्रण संख्या (“पीसीएन”) पद्धति प्रस्तावित की है। “T” टी-आकार की प्रोफाइल को दर्शाता है और संख्यात्मक पदनाम मिलीमीटर में अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई को दर्शाता है; “1B” अथवा “2B” अथवा 1/B जैसे प्रत्यय किसी मॉडल के भीतर डिजाइन भिन्नताओं को दर्शाते हैं।

पीसीएन पैरामीटर	**विवरण / मॉडल पदनाम**	**प्रस्तावित पीसीएन**
मॉडल / प्रोफाइल पदनाम	T70	T70
	T75	T75
	T78	T78
	T82	T82
	T82-2B	T82-2B
	T89	T89
	T89-1B	T89-1B
	T89-2B	T89-2B
	T90	T90
	T114	T114
	T125	T125
	T127-1/B	T127-1/B
	T127-2/B	T127-2/B
	पीयूसी के दायरे में आने वाला अन्य / कस्टम / गैर-मानक मॉडल	OT*

“अन्य” (OT) श्रेणी के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्येक व्यक्तिगत वाणिज्यिक मॉडल को एक पृथक प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह पूर्ववर्ती तालिका में स्पष्ट रूप से शामिल न हो।

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को भेजी जाएंगी।

ख. समान वस्तु

13. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

14. आवेदन सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में पीयूसी के तीन ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात सावेरा इंडिया, एन. लिफ्टी इंजीनियर्स और नव दुर्गा स्टील कॉरपोरेशन; एन. लिफ्टी इंजीनियर्स आवेदन का समर्थन करता है और लागू व्यापार सूचनाओं के अंतर्गत निर्धारित सूचना प्रस्तुत कर चुका है; तथा नव दुर्गा स्टील कॉरपोरेशन ने वर्ष 2022-23 के बाद पीयूसी का उत्पादन बंद कर दिया और जांच की अवधि के दौरान उसका कोई उत्पादन नहीं था। आवेदक ने दावा किया है कि कुल भारतीय पीयूसी उत्पादन में उसका प्रमुख अनुपात है और समर्थक के साथ मिलकर आवेदन को जांच की अवधि के दौरान ज्ञात भारतीय उत्पादन की संपूर्णता का समर्थन प्राप्त है।

15. आवेदक ने प्रकट किया है कि उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान चीन जन. गण. से पीयूसी की सीमित मात्राओं का आयात किया और चीन जन. गण. में पीयूसी के कुछ उत्पादक/निर्यातक उसके संबद्ध हैं, जिनमें से दो ने उक्त अवधि के दौरान भारत को सीमित मात्राओं का निर्यात किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन परिस्थितियों में नियमावली के नियम 2(ख) का परंतुक लागू होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा उत्पादक जो स्वयं कथित पाटित वस्तु का आयातक हो अथवा उसके किसी निर्यातक से संबंधित हो, घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर माना जा सकता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु का विनिर्माण और बिक्री जारी रखी। उसने आगे तर्क दिया है कि उसके सीमित आयातों का उपयोग पुनर्बिक्री के बजाय बेंचमार्किंग, परीक्षण और उत्पाद अभियांत्रिकी के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक की संबद्ध इकाइयों का संबद्ध देश से आयातों में केवल अल्प हिस्सा था और आवेदक ने स्वयं चीन जन. गण. से सभी आयातों, जिनमें उसकी अपनी संबद्ध इकाइयों द्वारा किए गए आयात भी शामिल हैं, पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना उचित नहीं है और आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा, उद्देश्य एवं प्रभाव तथा संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के साथ संबंध की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

17. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. जांच की अवधि

18. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

20. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और प्रतिनिधिक तीसरे देश की निर्यात कीमतों का विश्वसनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित टैरिफ शीर्षकों में अन्य एलिवेटर/लिफ्ट पुर्जे और पीयूसी के दायरे से बाहर आने वाली उत्पाद श्रेणियां भी शामिल हैं। अतः आवेदक ने अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, अपने भारित औसत उत्पादन लागत में उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजन करते हुए, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I का पैरा 7, जहां उसमें निर्दिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु विधिवत समायोजित, शामिल है। आवेदक द्वारा दावा की गई पद्धति को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार में लिया गया है और बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के आधार की उपलब्धता तथा निर्मित सामान्य मूल्य के तत्वों की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

ii. निर्यात कीमत

21. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा लदान और उतराई प्रभारों के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से

अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं और उसने इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी और संबद्ध आयातों की मात्रा प्रत्येक वर्ष, निरपेक्ष रूप से तथा भारत में मांग और उत्पादन के संबंध में, दोनों रूपों में बढ़ी; जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात कुल भारतीय उत्पादन से कई गुना रहे और भारतीय बाजार के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी रहे, जबकि अन्य स्रोतों से आयात शून्य अथवा नगण्य थे। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ाने में असमर्थ रहा, क्षति अवधि में उसकी बाजार हिस्सेदारी घटी, वह पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ संचालित हुआ और उसकी मालसूची आधार वर्ष के स्तर से काफी ऊपर रही। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे रही, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी विक्रय लागत की तुलना में अधिक घटी और क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों में उसकी विक्रय लागत से नीचे आ गई। घरेलू उद्योग का कर-पूर्व लाभ, ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घटे और ऋणात्मक हो गए तथा जांच की अवधि के दौरान उसका नकद लाभ घटकर सीमांत स्तर पर आ गया।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त आयात संबद्ध देश से हुए हैं। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसमें संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः घरेलू उद्योग की कीमतों और मात्राओं पर उनके प्रभाव के माध्यम से प्रकट होता है, और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। नियमावली के अनुबंध-II में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की जांच जांच के दौरान की जाएगी, ताकि ऐसे कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न मानी जाए।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

26. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में अपेक्षित नहीं है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

27. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/046/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/046/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां संलग्न सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

34. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोधों पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

36. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

37. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

38. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

39. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

40. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

42. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का

विवरण, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

44. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

45. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

46. प्राधिकारी, उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2026

SETU CASE ID-AD/OI/046/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails from China PR.

1. **F. No. 6/43/2026-DGTR.—** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Savera India Riding Systems Company Private Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the subject goods from China PR and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. The applicant has stated that an anti-dumping investigation concerning the same product under consideration and the same subject country was initiated vide Notification F. No. 6/14/2024-DGTR dated 29th June 2024, that the Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide its final findings dated 27th August 2025, and that no anti-dumping duty came to be imposed pursuant thereto. The Authority notes that no anti-dumping duty is presently in force on the subject goods and that the present application is accordingly an application for initiation of an original investigation in terms of Rule 5 of the Rules. The Authority further notes that the determinations recorded in the earlier proceeding do not dispense with the requirement of *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link in respect of the period of investigation now proposed, and that the present application has been examined afresh on the record presently available.

A. Product under consideration

4. The product under consideration in the present investigation is "T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails", also known in market parlance as Solid Lift Guide Rails or Solid Guide Rails.

5. The PUC forms the track that guides the elevator/lift car and, where applicable, the counterweight/balancing weight in vertical travel in the hoistway. It provides structural integrity and guidance, minimises vibration in the horizontal plane so as to provide a comfortable ride, and, by reason of its solid construction, enables the safety gear to stop and hold the car. The PUC is installed on the hoistway wall and is fixed thereto by clips and brackets. The applicant has also referred to ISO 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) and Indian Standard IS 17806:2022 in relation to T-type guide rails, and has stated that no quality control order has been issued making the said standard mandatory in India.

6. The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails of all types and dimensions up to and including 127 mm cross-sectional dimensional width, irrespective of customer-specific dimensions or nomenclature. The following are excluded from the scope of the PUC: (i) cold-drawn guide rails, being solid guide rails manufactured through a cold-drawing process which determines the final dimensions and modifies the mechanical properties and surface characteristics of the finished guide rails, usually designated as T65/A, T45/A and T50/A; and (ii) all hollow guide rails, whether open-profile or closed-profile, welded or non-welded, irrespective of dimensions, specifications or grade, including guide rails manufactured from formed sheet metal.

7. The applicant has submitted that the subject goods may be imported either with or without fishplates and that fishplates are outside the scope of the product under consideration. The applicant has also submitted that certain imports of the product under consideration have been made along with fishplates. Since fishplates fall outside the scope of the product under consideration, a fair comparison requires that the value and weight attributable to fishplates be excluded from the analysis. Accordingly, the exporters should be directed to provide a separate break-up of exports of guide rails supplied with fishplates, identifying the corresponding value and weight attributable to the fishplates.

8. The Authority notes that this issue is relevant both to the scope of the present investigation and to the fair comparison of prices, given that a portion of the imports entered India together with fishplates. In the present

initiation, the product under consideration comprises only the solid guide rail, while fishplates imported along with the guide rails do not form part of the product under consideration. Accordingly, the producers/exporters from the subject country shall be required to furnish a separate breakup of their exports identifying the value and quantity attributable to guide rails and fishplates. The appropriate treatment of fishplates for determining the export price of the product under consideration shall be examined during the course of the investigation. Interested parties may submit their comments in this regard.

9. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).

10. The product under consideration is classifiable under tariff items 8431 31 00, 8431 39 10 and 8431 39 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Certain imports of the subject goods have also been reported under tariff item 7308 90 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

11. The applicant has proposed a Product Control Number ('PCN') methodology based on the model/type of the Solid Guide Rail. 'T' denotes the T-shaped profile, and the numerical designation represents the cross-sectional dimensional width in millimetres; suffixes such as '1B' or '2B' or 1/B denote design variations within a model.

PCN parameter	Description / model designation	Proposed PCN
Model / Profile Designation	T70	T70
	T75	T75
	T78	T78
	T82	T82
	T82-2B	T82-2B
	T89	T89
	T89-1B	T89-1B
	T89-2B	T89-2B
	T90	T90
	T114	T114
	T125	T125
	T127-1/B	T127-1/B
	T127-2/B	T127-2/B
	Other / custom / non-standard model falling within PUC	OT*

Under the 'Other' (OT) category, interested parties shall be required to report each individual commercial model as a distinct entry, provided it is not explicitly covered in the preceding table.

12. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the proposed PCN methodology within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. Like article

13. The applicant has stated that there is no known difference between the subject goods produced by the applicant and those exported from China PR. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject country.

C. Domestic industry & standing

14. The application has been filed by Savera India Riding Systems Company Private Limited. The applicant has stated that there are three known producers of the PUC in India, namely Savera India, N. Liftee Engineers and Nav

Durga Steel Corporation; that N. Liftee Engineers supports the application and has furnished the information prescribed under the applicable trade notices; and that Nav Durga Steel Corporation discontinued production of the PUC after 2022-23 and had no production during the POI. The applicant has claimed that it accounts for a major proportion of the total Indian production of the PUC and that, together with the supporter, the application is supported by the entirety of the known Indian production during the POI.

15. The applicant has disclosed that it imported limited quantities of the PUC from China PR during the injury period including the POI, and that certain producers/exporters of the PUC in China PR are its affiliates, of which two exported limited quantities to India during the said period. The Authority notes that these circumstances engage the proviso to Rule 2(b) of the Rules, under which a producer who is itself an importer of, or is related to an exporter of, the alleged dumped article may be construed as falling outside the scope of the domestic industry. The applicant has submitted that it continued manufacturing and selling the like article in India throughout the injury period. It has further contended that its limited imports were used for benchmarking, testing, and product engineering rather than resale. Furthermore, the applicant's affiliated entities accounted for only a small share of imports from the subject country, and the applicant itself requested anti-dumping duties on all imports from China PR, including those by its own affiliates. For the purpose of initiation, the Authority *prima facie* considers that exclusion of the applicant from the scope of the domestic industry is not warranted, and the volume, purpose and effect of the imports made by the applicant, and the nature and effect of the relationship with the affiliated producers/exporters, shall be examined in the course of the investigation.

16. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject country

17. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation

18. The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

19. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

20. The applicant has submitted that information relating to the cost and price of the PUC in a market economy third country is not available in the public domain, and that representative third-country export prices cannot reliably be used because the relevant tariff headings also cover other elevator/lift parts and product categories falling outside the scope of the PUC. The applicant has therefore claimed normal value for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure-I, based on the weighted average cost of production of the applicant, adjusted to include a reasonable profit margin. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure-I permits determination of normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include a reasonable profit margin, where the anterior bases specified therein are not available. The methodology as claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation, and the availability of a market economy third country basis, as well as the elements of the constructed normal value, shall be examined in the course of the investigation.

ii. Export price

21. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction-wise import data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, and loading and unloading charges to arrive at the ex-factory export price.

iii. Dumping margin

22. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from China PR is positive and above the de minimis level. There is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from the subject country.

G. Injury and causal link

23. The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from China PR are causing material injury to the domestic industry and has furnished *prima facie* evidence in support thereof. The information furnished by the applicant and the DG Systems transaction-wise import data with the Authority *prima facie* shows that the demand for the subject goods in India grew over the injury period and that the volume of the subject imports increased in each year, both in absolute terms and in relation to the demand and the production in India, the subject imports remaining several times the total Indian production and accounting for the predominant share of the Indian market during the period of investigation, while imports from other sources were nil or negligible. The domestic industry was unable to increase its production, domestic sales and capacity utilisation commensurately with the growth in demand, its market share declined over the injury period, it operated with substantial unutilized capacity and its inventories remained materially above the level of the base year. The landed price of the subject imports remained below the selling price of the domestic industry resulting in significant price undercutting during the period of investigation. The selling price of the domestic industry declined more than its cost of sales and fell below its cost of sales during the last two years of the injury period. The profit before tax, profit before interest and tax and return on capital employed of the domestic industry declined in each year of the injury period and turned negative, and its cash profits declined to a marginal level during the period of investigation.

24. The Authority notes that the volume of the subject imports is not *prima facie* negligible, the subject country accounting for virtually the entire imports of the subject goods into India during the period of investigation. Having regard to Annexure-II to the Rules, the Authority *prima facie* considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material injury to the domestic industry, the adverse effect of the subject imports being manifested principally through their effect on the prices and volumes of the domestic industry, and of a causal link between the alleged dumping and such injury. The other known factors listed in Annexure-II to the Rules shall be examined in the course of the investigation so that injury, if any, caused by such factors is not attributed to the dumped imports.

H. Initiation of anti-dumping investigation

25. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential material injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

26. The applicant has requested the Authority to issue preliminary findings and to recommend imposition of provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the Rules, to recommend retrospective imposition of anti-dumping duty in terms of Rule 20(2)(b) of the Rules read with Section 9A of the Act. The Authority notes that these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

I. Procedure

27. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

28. All the interested parties are required to register themselves on **SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in)**. All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/046/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

29. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.

30. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

31. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR

(http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

32. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/046/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.

35. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.

36. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

38. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

39. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

40. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

41. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

42. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

43. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

45. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

46. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

47. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

48. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276715
CG-DL-E-02102026-276715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948
No. 271]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/060/2026

विषय: "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/59/2026–डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' अथवा 'पाटनरोधी नियमावली' के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष **"एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट"** (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या

"विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. इस आवेदन में **चीन जन. गण.** के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। अत:, प्राधिकारी ने इस जांच में **चीन जन. गण.** को संबद्ध देश के रुप में माना है।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित किए गए आयातों से महत्वपूर्ण क्षति पहुंच रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद **"एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट"** है।

5. "एमोक्सिसिलिन" एक सेमी-सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जिसमें कई ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्मजीवों के खिलाफ बैक्टीरिया को समाप्त करने की व्यापक क्षमता होती है। एमोक्सिसिलिन का उपयाोग दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन मार्ग (ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनसाइटिस), कान (ओटिटिस मीडिया), गले (स्ट्रेप थ्रोट), मूत्र मार्ग, त्वचा और दांतों के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अन्य दवाओं के साथ मिलाकर एच. पाइलोरी से जुड़े पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए भी किया जाता है और कभी-कभी इसे दांतों या सर्जरी से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं से पूर्व बचाव के रुप में भी दिया जाता है।

<u>माप की इकाई</u>

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (मी टन) है।

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनयिम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के तहत, विशेष रूप से उप-शीर्ष 29411030 के तहत वर्गीकृत किया गया है और वर्तमान में उत्पाद का आयात इसी एचएसएन कोड के तहत किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी भी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जांच की शुरूआत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति (यदि कोई हो) का प्रस्ताव दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने यह बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु की तुलना भौतिक और रासायनिक गुणों, बनाने की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि जिस उत्पाद की जांच हो रही है, उसके ग्राहक संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। अत:, इस जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. इस जांच में संबद्ध देश **चीन जन. गण.** है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) (जिसे इसके बाद "पीओआई" के रुप में कहा गया है) के रुप में माना है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

12. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।"

13. यह आवेदन एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आवेदक ने यह अवगत कराया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं हैं।

14. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि कुल भारतीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 35% से अधिक है। इस आवेदन को सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी समर्थन प्राप्त है। आवेदक और समर्थक को मिलाकर कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा बनता हैं।

15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के नियम-7 के अनुसार तय किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(2) का संदर्भ दिया है और यह कहा है कि चीन के उत्पादकों को यह सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) में उल्लेख किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए, सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश की बाज़ार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत के संबध में भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल सकी। अत: सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तय किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित

लाभ को भी शामिल किया गया है। जांच की शुरूआत करने के प्रयोजन के लिए इसी को आधार माना गया है। चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) निर्यात कीमत

18. आवेदक ने अपनी बाज़ार सूचना के आधार पर आयात की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के डेटा का उपयोग किया गया है। संबद्ध देश में समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत और देश के भीतर माल-भाड़े के लिए ज़रूरी समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक पर है और संबद्ध देश से निर्यात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के मामले में यह काफ़ी अधिक है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* ऐसे साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

20. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से होने वाले संबद्ध आयातों की मात्रा में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग के लाभ से जुड़े पैमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

21. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं जिनसे संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, और कथित पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है, जो नियमावली के नियम 5 के तहत पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, स्तर और प्रभाव का पता लगाया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य* के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति व पाटित आयातों के बीच संबंध शामिल हैं, और अधिनियम की धारा 9क के साथ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का पता लगाने और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं, जो जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी ।

झ. प्रक्रिया

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में बताए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और उससे संबद्ध सेतु केस आई डी नंबर –

एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का नैरेटिव हिस्सा सर्च किए जा सकने वाले पीडीएफ/ एमएस – वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सल फॉर्मेट में हों।

25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/ निर्यातक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातक और प्रयोक्ता जो इस उत्पाद से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग से बताया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर सभी ज़रूरी जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फॉर्म में दाखिल की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से जुड़े मामले में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फार्म में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर जानकारी दे सकते हैं।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय जानकारी देने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ प्रदान करना होगा।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रुप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रुप से देखते रहें ताकि वे संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अद्यतन रहें और समय-समय पर प्रश्नावली फॉर्मेट, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक समय के निर्धारित समय, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में जारी होने वाले नोटिस के बारे में जानकारी रखें।

ट. समय सीमा

29. इस जांच से जुड़ी कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम और उससे संबद्ध केस आईडी – एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए।

30. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर अपने-अपने निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करें।

32. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 30 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगा।

33. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में संशोधन करते हैं, जिसका पहले प्रस्ताव नहीं किया गया था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिन का समय विस्तार किया जाएगा। यह 15 दिन का समय विस्तार पीयूसी और पीसीएन में संशोधन की ऐसी अधिसूचना

की तारीख से किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिन का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां जांच की शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, 15 दिन के समय विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, सामान्य तौर पर आपवादिक परिस्थिति को छोड़कर, विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

35. जहां मौजूदा जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के तहत और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार, ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध अस्वीकार किए जा सकते हैं।

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें परिशिष्ट/ अनुबंध शामिल हैं), जिसमें प्रश्नावली उत्तरभी शामिल हैं, करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

37. ऐसे अनुरोध पर हर पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रुप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रदान की गई कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना की जांच करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

38. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए सूचना के प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक समुचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय पाठ को बेहतर होगा कि सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त स्थान रखा जाए (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर समुचित रुप से और पर्याप्त रुप से सारांश दिया जाना चाहिए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश इतना विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को ठीक तरीके से समझा जा सके। तथापि, विशिष्ट स्थिति में, गोपनीय सूचना प्रदान करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी सूचना सारांश में नहीं दी जा सकती और प्राधिकारी को यह बताने के लिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, एक विवरण देना होगा जिसमें कि यह बताया गया हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

41. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत करने या सारांश रुप में इसे बताने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते है।

42. बिना किसी तत्संबंधी सार्थक अगोपनीय पाठ या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त कारण सहित विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई समुचित व्यापार सूचना के बिना किया गया कोई भी अनुरोध, गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ङ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके अपने लॉगिन के ज़रिए सुलभ होंगे ।

ढ़. असहयोग

44. यदि कोई भी हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और मौजूदा तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

SETU Case ID – AD/OI/060/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Amoxycillin Trihydrate originating in or exported from China PR".

F. No. 6/59/2026-DGTR.— 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), Apitoria Pharma Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "**Amoxycillin Trihydrate**" (hereinafter referred to as "subject good" or "product under consideration" or "PUC").

2. The present Application sought anti-dumping investigation concerning imports of the subject good originating in or exported from **China PR**. Hence, the Authority has considered **China PR** as the subject country in the present investigation.

3. The applicant has alleged that dumped imports of the subject good from the subject country are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject good from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration in the present application is "**Amoxycillin Trihydrate**".

5. "Amoxicillin" is a semi synthetic antibiotic, with a broad spectrum of bactericidal activity against many gram-positive and gram-negative microorganisms. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. Amoxicillin is a broad-spectrum penicillin antibiotic mainly used to treat bacterial infections of the respiratory tract (bronchitis, pneumonia, sinusitis), ear (otitis media), throat (strep throat), urinary tract, skin, and dental infections. It's also used, in combination with other drugs, to treat H. pylori-related peptic ulcers, and sometimes given preventively before certain dental or surgical procedures.

<u>Unit of measurement</u>

6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).

Tariff classification

7. The PUC is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 specifically under the sub-headings 29411030 and the product is presently imported under this HSN Code. The applicant has also alleged the imports of PUC may be made under any other heading/tariff items. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

8. The Applicant has not proposed any product control numbers (PCN) methodology in its application. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject good. The subject good and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject good and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

10. The subject country in the present investigation is **China PR.**

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The Authority has considered the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period of 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term domestic industry may be construed as referring to the rest of the producers"

13. The application has been filed by Apitoria Pharma Private Limited, which is a stepdown wholly owned subsidiary of Aurobindo Pharma Ltd. The applicant has submitted that they have not imported the subject good from the subject country and is not related to producers and exporters from the subject country.

14. The applicant has submitted that the applicant accounts for more than 35% of total Indian production. The application is also supported by Centrient Pharmaceuticals India Private Limited. The Applicant and the supporter together account for more than 60% of the total Indian domestic production.

15. As per the information available on record, the Authority considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) Normal Value for China PR

16. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the AD Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject good in terms of Para 8(3) of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules.

17. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been

constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation. There is sufficient evidence claimed by the applicant with regard to Normal value of subject good in China PR.

b) Export Price

18. The Applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject good from subject country, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of Ocean freight, Ocean insurance, Port expenses, Commission, Bank Charges, Credit Cost and Inland freight in the concerned subject country have been made.

c) Dumping Margin

19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

20. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.

21. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject good originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/060/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

25. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR

(https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/060/2026.

30. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

32. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 30 above of this Initiation Notification.

33. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

34. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

36. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

37. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.